भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 2000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

A.T.O/T.O.
TRY.LKO.

03CC 305897

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रू0 3,49,209/-
बाजारू मूल्य	: रू0 2,76,210/-
स्टाम्प शुल्क	: रू0 35,000/-
परगना	: लखनऊ

यह विक्रय विलेख पुत्तीलाल पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी-ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 685722

जिन्हे आगे विक्रता कहा गया है, एवम् राजू पुत्र रामधनी निवासी–254 चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रता भूमि सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1409 से 1414 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 356 के खसरा संख्या–1037, रकबा 0.219 हेक्टेअर का आधा अर्थात 0.110 व खाता खतौनी क्रम संख्या 494, खसरा संख्या 826, रकबा 0.076 हेक्टेअर इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

0.186, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 356 व 494 के अनुसार उक्त भूमि विक्रता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रता

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.　　R$ 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये　ONE THOUSAND RUPEES

उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 3,49,209/- (तीन लाख उन्चास हजार दो सौ नौ रुपया मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वाामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

11 NOV 2014
A.T.O/R.O.
TRY.LKO.

सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा वं खर्चा, विक्रता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

कि0 पुत्तीलाल

कि0 आशाराम

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रता भुगतान व वहन करेगें, विक्रता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है विक्रीत भूमि शहीद पथ से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आती है अतः निर्धारित सर्किल रेट 11,00,000/- प्रति हेक्टेअर पर 35 प्रतिशत अधिक के हिसाब से निर्धारित सर्किल रेट रू0 14,85,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.186 हेक्टेअर की मालियत रू0 2,76,210/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 35,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धब्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है।

विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 200 मीटर की परिधि में स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है। यह कि खसरा सं० 826 रकबा 0.076 हेक्टेयर [illegible] के पास [illegible] से है जिसका [illegible] उनके पास है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–1037, रकबा 0.219 हेक्टेअर का आधा अर्थात 0.110 व खाता खतौनी क्रम संख्या 494, खसरा संख्या 826, रकबा 0.076 हेक्टेअर इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा 0.186, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 1037

पूरब	: खसरा संख्या–1038
पश्चिम	: खसरा संख्या–1036
उत्तर	: चक रोड
दक्षिण	: चक रोड

खसरा नं0 826

पूरब	: खसरा संख्या–
पश्चिम	: खसरा संख्या–

नि० पुत्तीलाल   नि० राजू

उत्तर : खसरा संख्या–
दक्षिण : खसरा संख्या–

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल रू0 3,49,209/– (तीन लाख उन्चास हजार दो सौ नौ रूपया मात्र) नगद विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किया तथा जिसकी प्राप्ति विक्रता स्वीकार करता है।

लखनऊ
दिनांक: 02.12.2004

गवाह

1.

2. Lal bagh LKO

विक्रता

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता
(उमा शंकर पाण्डेय)

नक्शा नज़री

ग्राम :- अहमामऊ

खसरा सं० :- 826

क्रेता :- राजू

विक्रेता :- पुत्तीलाल

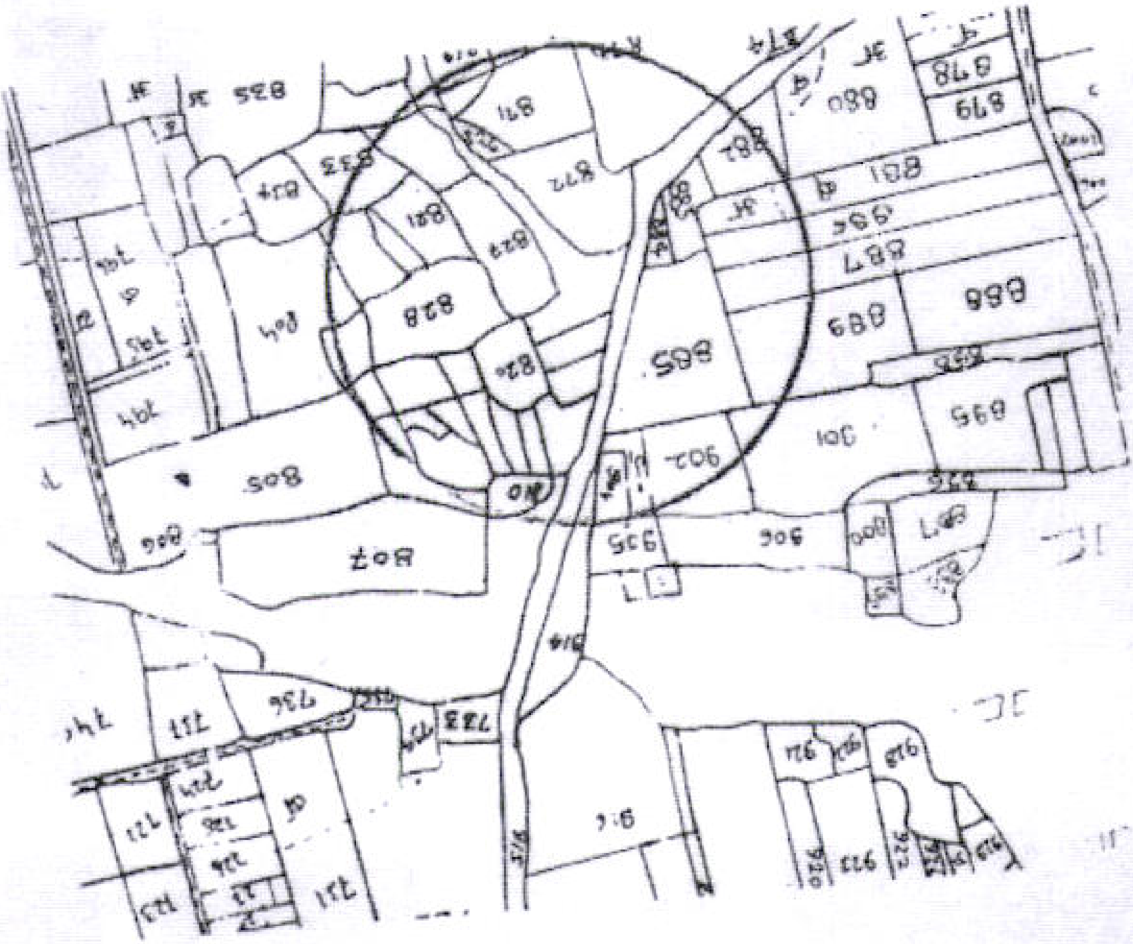

निशा पुत्तीलाल

निशा राजू

नक्शा नजरी

ग्राम :- अहिमामऊ

खसरा सं. :- 1037

क्रेता :- राजू

विक्रेता :- कुलदीलाल

N

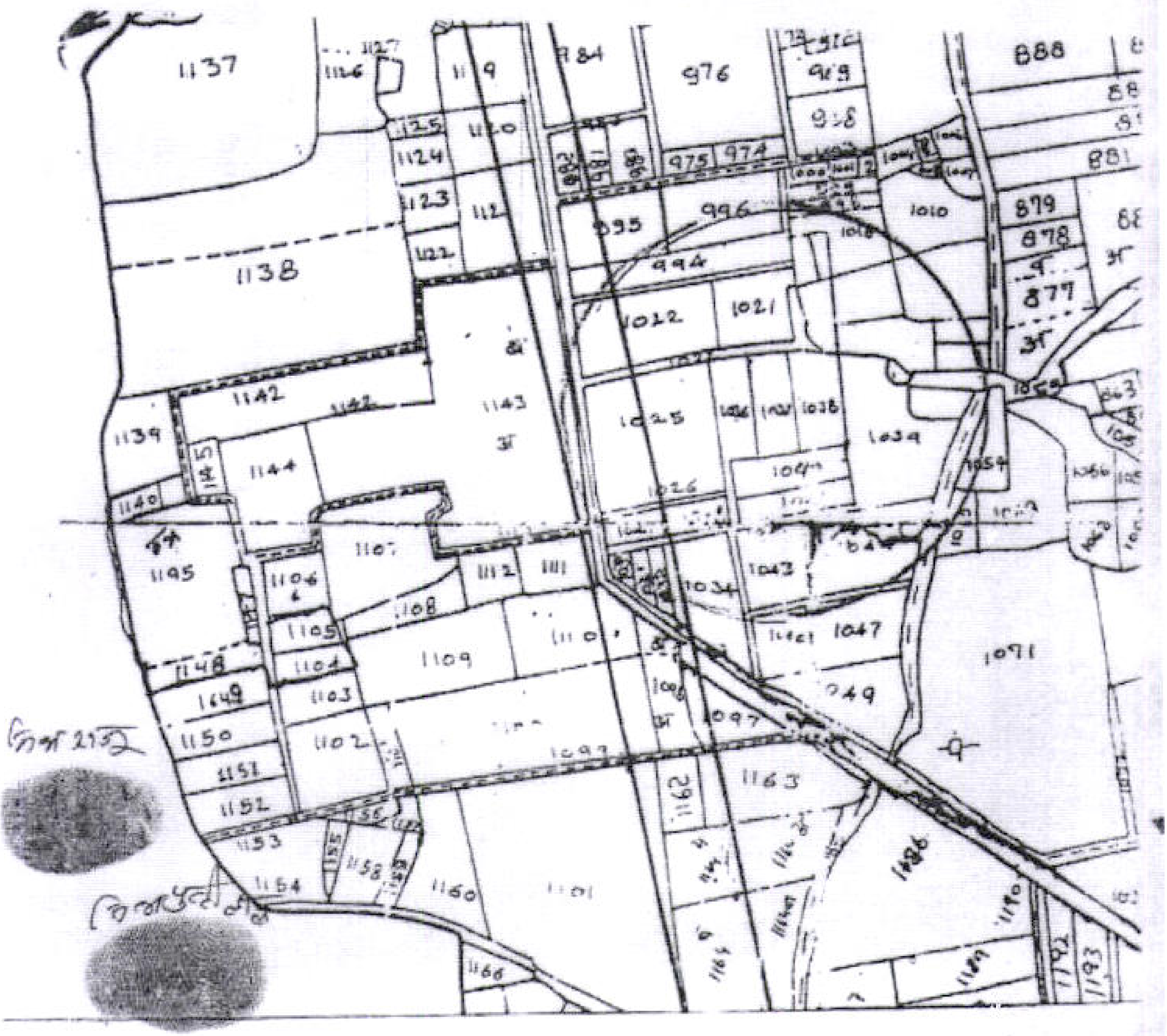

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : फूलीलाल पुत्र श्यामलाल
ग्राम - महनामऊ, लखनऊ

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

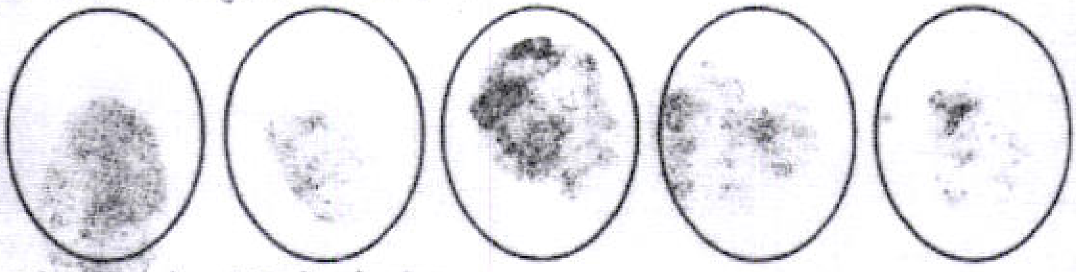

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

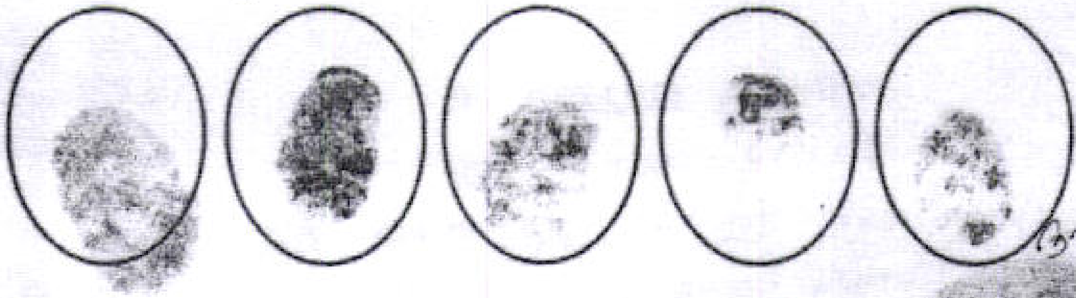

(फूलीलाल)

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : राजू S/o रामजी
254 चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

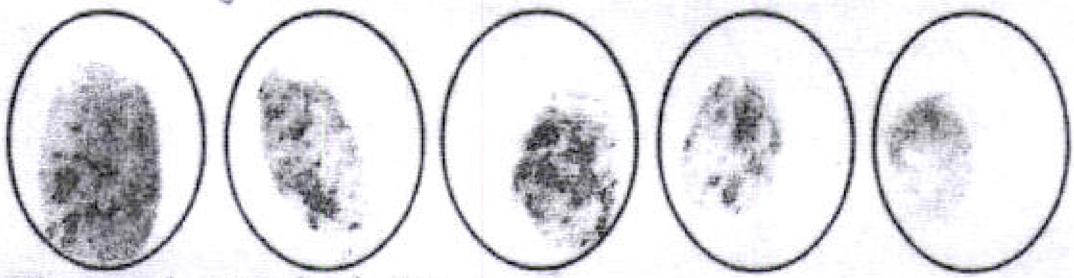

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

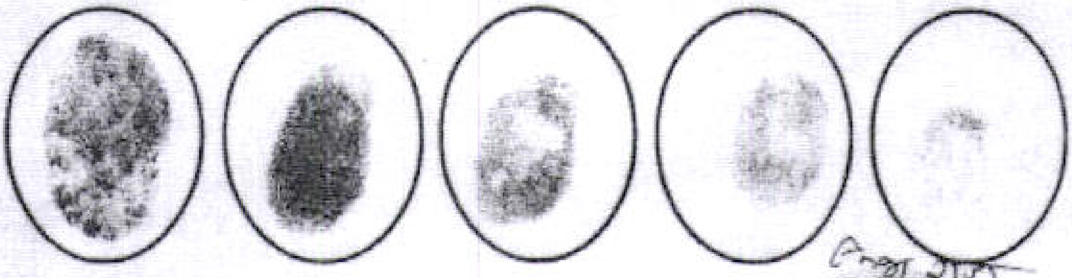

राजू

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 02/12/2004 को

बही सं 1 जिल्द सं 4696

पृष्ठ सं 195 से 220 पर क्रमांक 9922

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ